web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, सोमवार 23 जनवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 117

महत्वपूर्ण एवं खास

पांच मंजिला इमारत गिरने से 10 लोगों की मौत, 30 से अधिक मलबे में दबे

काहिरा। सीरिया के अलेप्पो शहर में एक पांच मंजिला आवासीय इमारत ढह जाने से एक बच्चे सहित कम से कम 10 लोगों की मौत हो गयी और तीन अन्य घायल हो गये। सीरियाई ब्रॉडकास्टर शाम एफएम ने बताया कि यह घटना शेख मकसूद के पास में हुई। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक, 30 से अधिक लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। दमकलकर्मी और नागरिक सुरक्षा बल घटनास्थल पर बचाव का काम कर रहे हैं। ब्रॉडकास्टर के मुताबिक इमारत के गिरने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

महिला ने की सौतेली बेटी की हत्या

बरेली (आरएनएस)। सात साल की एक बच्ची की कथित तौर पर उसकी सौतेली मां ने हत्या कर दी। घटना बहेड़ी थाना क्षेत्र की है। तीन साल पहले बीमारी के कारण अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद घनश्याम ने विधवा से दूसरी शादी कर ली थी। वह अपने साथ 4 साल का बेटा और एक साल की बेटी लेकर आई थी। घनश्याम ने पुलिस को बताया कि उसकी दूसरी पत्नी उससे खुश नहीं थी, क्योंकि वह अपनी पहली पत्नी की बेटी रश्मि से प्यार करता था। इससे नाराज होकर उसने घर में सो रही रश्मि की गला दबा कर हत्या कर दी। पुलिस ने घनश्याम की दूसरी पत्नी पर हत्या की धारा में मामला दर्ज कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

गोली लगने से पीएसी के जवान की मौत

लखनऊ (आरएनएस)। आशियाना पुलिस सर्कल के तहत प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएससी) के एक कांस्टेबल के कथित तौर पर अपनी ही राइफल से गोली लगने के कारण मौत हो गई। पुलिस के अनुसार फतेहपुर पीएसी यूनिट में तैनात 26 वर्षीय जवान लखनऊ में ड्यूटी पर था। 26 जनवरी को उसकी शादी तय थी। आशियाना पुलिस स्टेशन के एसएचओ अजय प्रकाश मिश्रा ने कहा, वज्र पुलिस वाहन से गोली चलने की आवाज सुनने के बाद उसके सहयोगियों ने उसे खून से लथपथ पाया। उसे केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एसएचओ ने कहा, शहर के विभिन्न हिस्सों में अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद जवान के साथी रमाबाई अंबेडकर पार्क में पीएसी कैंप में चले गए, लेकिन वह गाड़ी में ही रहा। मिश्रा ने कहा, फिलहाल हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या उसने आत्महत्या की या यह एक दुर्घटना थी।

लखनऊ हवाईअड्डे पर 23 फरवरी से चार महीने तक रात की उड़ानें रहेंगी बंद

लखनऊ (आरएनएस)। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा 23 फरवरी से 11 जुलाई तक चार महीने के लिए रात्रि उड़ान संचालन नहीं करेगा। यह जानकारी हवाई अड्डे के अधिकारियों ने दी है। रात 9.30 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच कोई उड़ान संचालन नहीं होगा। इस अवधि के दौरान लखनऊ हवाईअड्डा अपने मौजूदा रनवे (एयरसाइड) के विस्तार और उन्नयन का काम करेगा ताकि यात्री और कार्गो प्रवाह की संख्या में वृद्धि के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। हवाई अड्डे के एक प्रवक्ता ने कहा, चार महीने की अवधि के दौरान हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए तीन नए लिंक टैक्सीवे, विमान संचालन के लिए नई ग्राउंड लाइट, रनवे आदि का विकास किया जाएगा।

यूजीसी का फैसला... दूसरे कॉलेजों की लेबोरेटरी व लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकेंगे छात्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। विभिन्न विश्वविद्यालयो और उनसे जुड़े कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र अपने कॉलेज के अलावा किसी दूसरे कॉलेज या विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी और लैबोरेट्री का इस्तेमाल कर सकेंगे। इतना ही नहीं विभिन्न कॉलेजों के छात्र दूसरे कॉलेजों में जाकर रिसर्च कर सकते हैं या फिर दूसरे कॉलेजों की स्पोर्ट्स फैसिलिटी का लाभ भी उठा सकते हैं। दरअसल यूजीसी ने छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालयो व कॉलेजों के संसाधन साझा करने की एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है।

इस योजना पर जानकारी देते हुए यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार कहा कि विश्वविद्यालय, कॉलेज या फिर अन्य उच्च शिक्षण संस्थान आपसी सहमति से छात्रों को इस प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं। उसके तहत शिक्षण संस्थान दूसरे कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में पढऩे वाले छात्रों को अपने यहां, लेबोरेटरी, साइंस रूम, कंप्यूटर लैब, रिसर्च, लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। पढ़ाई के अलावा उच्च शिक्षण संस्थान स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी साझा कर सकेंगे, जिसके तहत दूसरे शिक्षण संस्थानों के छात्रों को स्पोर्ट्स ग्राउंड, सेमिनार हॉल और स्टेडियम आदि इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी।

ऐसे ही यदि किसी एक कॉलेज का छात्र किसी दूसरे कॉलेज के रिसर्च संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहे तो वह अपने कॉलेज के बाहर दूसरे कॉलेज में भी रिसर्च कर सकता है। इस व्यवस्था को योजनाबद्ध करने के लिए यूजीसी ने विशेष गाइडलाइन बनाई है।

यूजीसी के मुताबिक विशेष गाइडलाइन के आधार पर राज्य यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय और ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों के संसाधनों का ज्यादा प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। खास बात यह है कि इन संसाधनों के मेंटेनेंस का खर्च यूजीसी की ओर से वहन किया जाएगा। यूजीसी का कहना है कि कि यदि नई गाइडलाइन के आधार पर किसी एक शहर के विभिन्न उच्च शिक्षण अपने संसाधनों का सांझा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे निश्चित तौर पर छात्रों के साथ-साथ इन संस्थानों को भी फायदा होगा।

यूजीसी चेयरमैन के मुताबिक किसी शहर का एक शिक्षण संस्थान अतिथि के रूप में वहां मौजूद संसाधन संपन्न किसी अन्य शिक्षण संस्थान के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। इस योजना से अतिथि संस्थानों के छात्रों को दूसरे विश्वविद्यालयों या कॉलेजों की लाइब्रेरी में भी पढऩे का अवसर मिलेगा। छात्र वहां की प्रयोगशालाओं में जाकर शोध भी कर सकेंगे।

गौरतलब है कि देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सामान्यतया अन्य राज्य स्तरीय या छोटे विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के मुकाबले संसाधन संपन्न समझा जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय समेत देशभर में 40 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। इन विश्वविद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, खेलकूद की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसे में इन बड़े विश्वविद्यालयों का लाभ अन्य कॉलेजों एवं दूसरे विश्वविद्यालय के छात्रों को भी मिल सकेगा।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा देश में इंजीनियरिंग समेत कई अन्य पाठ्यक्रमों के शीर्षस्थ संस्थान आईआईटी भी इस मामलों में छात्रों के लिए मददगार हो सकते हैं। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अलावा भी कई विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जहां अन्य शिक्षण संस्थानों के मुकाबले अधिक साधन व संसाधन उपलब्ध हैं। इनमें कई राज्य स्तरीय कॉलेज व विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। यह शिक्षण संस्थान भी कम संसाधन वाले शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे छात्रों के लिए खासी उपयोगी साबित हो सकते हैं।

लेकिन ऐसा नहीं है कि अनिवार्य तौर कोई विश्वविद्यालय, अन्य विश्वविद्यालयों को अपने संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। यह कार्य दो कॉलेजों और अथवा विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय व सहमति के आधार पर संभव हो सकेगा। यूजीसी की गाइडलाइंस में इसके लिए समय भी तय किया गया है। यूजीसी का कहना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी के छात्र इस योजना के तहत सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक दूसरे शिक्षण संस्थानों की सुविधाओं का प्रयोग कर सकते हैं।

ब्रह्मवाद टोल पर देर रात अंधाधुंध फायरिंग, तीन टोलकर्मी गंभीर घायल

भरतपुर (आरएनएस)। जिले के रुदावल थाना इलाके के ब्रह्मवाद टोल पर देर रात कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर तीन टोलकर्मियों को घायल कर दिया। एक टोलकर्मी की हालत गंभीर होने के कारण उसे आरबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

रुदावल थाना अधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि कल देर शाम बैसोरा इलाके की एक स्कॉर्पियो टोल से निकल रही थी इस दौरान स्कॉर्पियो कार के ड्राइवर और टोलकर्मियों में टोल देने के ऊपर कहासुनी हो गई। इस दौरान टोल कर्मियों ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी। जिसके बाद स्कॉर्पियो का ड्राइवर वहां से अपनी कार लेकर चला गया, लेकिन देर रात करीब 20 बदमाश हथियारों से लैस होकर टोल पर पहुंचे। बदमाशों ने टोल पर पहुंचते ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोलियों की आवाज सुन टोल पर भगदड़ मच गई। बदमाशों ने तीन टोलकर्मियों से बुरी तरह मारपीट भी की और फरार हो गए।

वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश टोल से फरार हो गए। देर रात ही घटना की सूचना रुदावल पुलिस को दी गई घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने स्कोर्पियो के ड्राइवर का पता कर उसके घर दबिश दी, लेकिन कोई बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस अब भी बदमाशों को पकडऩे के लिए दबिश दे रही है। वहीं तीनों घायलों का इलाज जारी है।

डॉक्टरों ने जलाई राइट टू हेल्थ बिल ड्राफ्ट की प्रतियां, की संशोधन की मांग

जयपुर (आरएनएस)। राज्य सरकार द्वारा लाया जा रहा राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टरों ने प्रस्तावित ड्राफ्ट की प्रतियां जलाई। ये सभी डॉक्टर राइट टू हेल्थ बिल में संशोधन की मांग कर रहे हैं।

इन डॉक्टरों ने विसंगतियों की जानकारी देते हुए बताया कि जनता से मांगे गए सुझावों को इस बिल में शामिल नहीं किया गया। बिल के मौजूदा ड्राफ्ट में इमरजेंसी की परिभाषा को परिभाषित नहीं किया गया है। एक्सीडेंट के मामले में घायलों को पहुंचाने वालों को तो 5000 रुपए का इनाम है, लेकिन इलाज करने वाले डॉक्टरों को कुछ नहीं है। इस बिल में पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्यों को शामिल कर एक काला कानून बना दिया है। पहले ही प्राइवेट अस्पतालों पर 50 से अधिक लाइसेंस का भार है। इनका उल्लंघन होने पर अस्पताल सीज कर दिए जाते हैं। अस्पतालों में तमाम सरकारी सुविधाओं पर कॉमर्शियल रेट वसूली जाती है।

राइट टू हेल्थ बिल के ड्राफ्ट में जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय कमेटियों में पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्यों व अधिकारियों को शामिल किया गया है। इन कमेटियों को निजी अस्पतालों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने और सीज करने का अधिकार है। इन कमेटियों के निर्णय के खिलाफ कहीं भी अपील करने का अधिकार नहीं है जबकि देश में मर्डर करने वालों को भी सुप्रीम कोर्ट तक अपील करने का अधिकार है। इन पर विचार करने की जरूरत है।

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉ. संजीव गुप्ता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राइट टू हेल्थ बिल में संशोधन कर लागू करने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि संशोधन करने के बाद यह बिल लागू होता है तो वो जनता और डॉक्टरों के हित में होगा। यह कानून लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन जाएगा। लेकिन अफसर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते हैं।

अफसर मुझे बदनाम करेंगे : डॉ. संजीव गुप्ता- उधर, राजस्थान कांग्रेस कमेटी के सदस्य डॉ. संजीव गुप्ता ने लिखा है कि कुछ अफसर मुझे गहलोत विरोधी, कांग्रेस विरोध कहेंगे, मेरा चरित्र हनन करने का हर संभव प्रयास करेंगे। किसी भी मीटिंग में मुझे नहीं बुलाया जाएगा। सच यह है कि मैं खुद चाहता हूं कि प्रदेश में राइट टू हेल्थ बिल मरीजों व डॉक्टरों दोनों के बीच व्यवहारिक बनाकर शत प्रतिशत लागू किया जाए। यह अभिनव पहल होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही सबसे पहले यह सोचा है कि जनता को स्वास्थ्य का अधिकार मिले।

गणतंत्र दिवस को लेकर बीएसएफ ने पाक सीमा पर शुरू किया ऑपरेशन अलर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। ऐसे में आतंकी सीमा पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम ना दे पाएं इसके लिए भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति यानी सीमा सुरक्षा बल ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीएसएफ ने गुजरात में पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास शुरू किया है। ये 21 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक 7 दिनों के लिए होगा।बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर क्रीक से गुजरात के कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक किया जा रहा है। बीएसएफ ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्र विरोधी तत्वों के किसी भी नापाक मंसूबों को विफल करने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार इस अभ्यास के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के आस-पास के क्षेत्रों के साथ-साथ क्रीक और हरामी नाला में विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न आपरेशनल कार्यपद्धतियों की सटीकता एवं वैधता की जांच के साथ-साथ इस अवधि में सीमावर्ती लोगों के साथ मेल मिलाप कार्यक्रम भी किए जाएंगे। बीएसएफ ने बताया कि हरामी नाला और क्रीक के इलाकों से अक्सर घुसपैठ की संभावना बनी रहती है। ऐसे में इन इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ साथ इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी बढ़ा दिया गया है। वहीं इस दौरान सेक्टर हेड क्वार्टर के सभी अधिकारी 28 जनवरी तक बॉर्डर के नजदीक जवानों के साथ उनकी हौसला अफजाई करने के लिए तैनात रहेंगे।

तीन धमाकों की जांच के लिए एनआईए की टीम पहुंची जम्मू

नई दिल्ली (आरएनएस)। जम्मू के बजाल्टा इलाके में हुए तीन विस्फोटों के एक दिन बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक टीम रविवार को घटनास्थल पर पहुंची। विस्फोटों में एक पुलिस कांस्टेबल सहित दस लोग घायल हो गए थे। फिलहाल मामले की जांच स्थानीय पुलिस कर रही है, लेकिन संभावना है कि इसे एनआईए को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जांच ने सुझाव दिया है कि यह सीमा पार आतंकवादियों द्वारा किया गया है। पाकिस्तान स्थित आकाओं की भूमिका की जांच की जा रही थी। अतिरिक्त डीजीपी (जम्मू जोन) मुकेश सिंह ने शनिवार को कहा था कि जम्मू शहर के नरवाल इलाके में दो वाहनों में हुए दो विस्फोटों में छह लोग घायल हो गए। बाद में एक और धमाके की सूचना मिली। कांस्टेबल सुरिंदर सिंह सिधरा चौक पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तभी बालू से लदा एक डंपर दिखाई दिया। पुलिस ने चेकिंग के लिए उसे रोका लेकिन अचानक उसमें विस्फोट हो गया और सभी घायल हो गए।

राष्ट्रपति के हाथों मिलेगा 11 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले पुरस्कार समारोह में 11 असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जनवरी को पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे। बता दें कि केंद्र सरकार बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि भारत सरकार बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पुरस्कार प्रदान करती है। यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को छह श्रेणियों में उनकी उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। इनमें कला और संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, शैक्षिक, सामाजिक सेवा और खेल, शामिल हैं।

23 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार दिए जाएंगे और अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन विजेता बच्चों से संवाद करेंगे। जानकारी के अनुसार प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

अयोध्या में होने वाली डब्लूएफआई की बैठक रद्द, खेल मंत्रालय की रोक के चलते 4 हफ्ते टली मीटिंग

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय कुश्ती महासंघ की आज अयोध्या में होने वाली वार्षिक आम बैठक को रद्द कर दिया गया है। एजीएम बैठक आज सुबह 10 बजे अयोध्या में शुरू होनी थी। पहलवानों के धरने के बाद इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था। खबरें ये भी थी कि बृजभूषण शरण सिंह भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले थे। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। खेल मंत्रालय ने शनिवार को रेसलिंग फेडरेशन की सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी थी। बैठक के रद्द होने के पीछे इसी को वजह माना जा रहा है।

देश के कई बड़े पहलवान बुधवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना करना बैठे थे। दो दिन के धरने के बाद शुक्रवार देर रात खेल मंत्रालय ने खिलाडिय़ों से बात की थी। इस बैठक के बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि पहलवानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बनाई जाएगी। चार हफ्ते बाद ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी। साथ ही साथ जांच चलने तक बृजभूषण शरण सिंह को भी फेडरेशन के कामों से अलग कर दिया गया था।

खेल मंत्रालय ने शनिवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के सहायक सचिव विनोद तोमर को इस खेल निकाय के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीडऩ और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया। मंत्रालय ने सिंह के उत्तर प्रदेश के गढ़ गोंडा में शुरू होने वाली ओपन चैंपियनशिप को भी रद्द कर दिया था। इसके बाद से इस बात पर संशय था कि एजीएम होगी या नहीं। इसी अहम बैठक के बाद बृजभूषण शरण सिंह मीडिया से बात करने वाले थे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बृजभूषण अब जांच खत्म होने तक मीडिया से बातचीत नहीं कर सकेंगे। खेल मंत्रालय भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे यौन उत्पीडऩ और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाली निगरानी समिति के सदस्यों के नामों की रविवार को घोषणा करेगा। मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। शनिवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी और साइ (भारतीय खेल प्राधिकरण) के डीजी (निदेशक) संदीप प्रधान के बीच इस मामले पर हुई बैठक के बाद सूत्रों ने इसकी पुष्टि की।

ट्रॉमा सेंटर के लिए अंसल ने जुर्माने के रूप में 60 करोड़ रुपए का किया रहस्यमय भुगतान

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में अंसल बंधुओं द्वारा जुर्माने के रूप में जमा किए गए 60 करोड़ रुपये का ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने के बारे में दिल्ली सरकार से सवाल किया था।

शीर्ष अदालत ने अगस्त 2015 में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल की रिहाई की अनुमति दी थी और उन्हें 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा, जिसका इस्तेमाल ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के लिए किया जाना था।

जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा था कि उपहार अग्निकांड मामले में अंसल ब्रदर्स द्वारा लगभग 60 करोड़ रुपये का फंड जमा किया गया है, जिसका इस्तेमाल एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के लिए होना था।

पीठ ने कहा, उसका क्या हुआ? अगर वह स्थापित नहीं होता है तो हम देख सकते हैं कि धन का क्या करना है।

पीठ ने पूछा था कि उस 60 करोड़ रुपये का उपयोग क्यों नहीं किया। इसके लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए?

उपहार त्रासदी पीड़ितों के संघ (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने कहा, हमें नहीं पता कि उस पैसे का क्या हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार को जो उद्देश्य दिया गया था, वह पूरा होगा।

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को प्रस्तावित कारावास की प्रस्तावित वृद्धि को ऑफसेट करने के लिए 100 करोड़ रुपये जमा करने का विकल्प दिया था।

न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा ने ट्रामा सेंटर के लिए तब दिल्ली सरकार को द्वारका में स्थान निर्धारित करने का आदेश दिया था।

शीर्ष अदालत ने ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया, जिसे सफदरजंग अस्पताल के विस्तार के रूप में माना जाएगा।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सेंटर का निर्माण अंसल बंधुओं द्वारा एक समिति की देखरेख में किया जाएगा, जिसमें एवीयूटी, सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और अन्य विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और उन्हें उपहार मेमोरियल ट्रॉमा सेंटर के पीड़ितों के रूप में नामित किया जाएगा।

बाद में 2015 में, सुप्रीम कोर्ट में अंसल बंधुओं की एक समीक्षा याचिका पर जुर्माना राशि को घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया गया था और यह कहा गया था कि धन का उपयोग नए ट्रॉमा सेंटर की स्थापना या दिल्ली सरकार के अस्पतालों के मौजूदा ट्रॉमा सेंटरों को अपग्रेड करने के लिए किया जाएगा। दिल्ली सरकार।

अंसल परिवार ने नवंबर 2015 में दिल्ली के मुख्य सचिव के पास डिमांड ड्राफ्ट में 60 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि जमा करने की जल्दी की थी।